

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 270191

पटना, दिनांक:- 29/04/16

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0-यू0सी0-102-21/2015

प्रेषक,

प्रमोद कुमार बिहारी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
अरवल, गया, जहानाबाद एवं नालन्दा ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में मुख्य शीर्ष-2216, मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार
योजनान्तर्गत आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र के संबंध में ।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्य शीर्ष-2216 अंतर्गत "मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना" विपत्र कोड-पी.2216031050105 में वित्तीय वर्ष 2014-15 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-202889 दिनांक-24.09.14 द्वारा स्वीकृत तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-205663 दिनांक-17.10.14 से संशोधित राशि रू0 2500.00 लाख के विरुद्ध आवंटनादेश संख्या-205824 दिनांक-20.10.14 द्वारा जिलों को कुल 2499.90 लाख रुपये का आवंटन किया गया था । इस आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अबतक नहीं उपलब्ध कराया गया है, फलतः विभाग स्तर से इसे महालेखाकार कार्यालय में भेजने की कार्रवाई लंबित है । उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव द्वारा इसपर अप्रसन्ता व्यक्त की गई है ।

अतः विपत्र कोड P2216031050105 के अंतर्गत उपर्युक्त आवंटनादेश संख्या से आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र Form-42A में मूल रूप में जाँच पत्र की तीन प्रतियाँ, अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं टी0भी0नं0 सहित CTMIS की प्रति के साथ विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय । यदि इस मद में आवंटित कोई राशि अवशेष हो तो उसे कोषागार में उचित विपत्र कोड के साथ प्रत्यर्पित करते हुए उपरोक्त अंकित उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अनुलग्नकों के साथ विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

अनुलग्नक :- आवंटनादेश संख्या-205824 दिनांक-20.10.14

विश्वासभाजन


(प्रमोद कुमार बिहारी)
सरकार के विशेष सचिव

जापांक 270191

पटना, दिनांक 29/04/16

प्रतिलिपि- श्री सुनील प्रकाश सिंह, निरीक्षी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 205824
ग्रा0वि0-5/इ0आ0यो0-(जीर्णोद्धार)-143/2011

पटना, दिनांक 20/10/14

प्रेषक,

प्रमोद कुमार बिहारी,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
गया, जहानाबाद, नालन्दा एवं अरवल ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2014-15 में मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना के कार्यान्वयन हेतु निधि के आवंटन के संबंध में ।

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-202889 दिनांक-24.09.14 एवं शुद्धि पत्र संख्या-205663 दिनांक-17.10.14

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2014-15 में मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजनान्तर्गत 01.04.2004 के पूर्व के इंदिरा आवास योजनान्तर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों को अधूरे/अपूर्ण आवास को पूर्ण करने के लिए सहायक अनुदान के रूप में प्रति लाभुक ₹ 30,000 (तीस हजार रुपये) सहायता राशि उपलब्ध कराने हेतु कुल ₹ 2499.90 लाख (दोबीस करोड़ निन्यानवे लाख नब्बे हजार रुपये) का आवंटन निम्न रूप से (कॉलम-4) किया जाता है ।

(रुपये लाख में)

क्र० सं०	जिला का नाम	मुख्य मंत्री जीर्णोद्धार योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने वाले परिवारों की सं०	आवंटित राशि
1	2	3	4
1.	गया	2220	666.00
2.	जहानाबाद	2969	890.70
3.	नालन्दा	949	284.70
4.	अरवल	2195	658.50
कुल :-			2499.90

- राशि का आवंटन विभागीय संख्या-202889 दिनांक-24.09.14 द्वारा स्वीकृत राशि के अंतर्गत की जाती है ।
- आवंटित राशि मॉग संख्या-42 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2216-आवास-उप मुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण आवास-लघु शीर्ष-105-इंदिरा आवास योजना, उप शीर्ष-0105-मुख्य मंत्री शताब्दी इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना, विपत्र कोड-पी.2216031050105, राज्य योजना स्कीम कोड-RUR-5630, विषय शीर्ष-31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।
- आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के उप विकास आयुक्त होंगे तथा राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी ।




सरकार के विशेष सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार, पटना

- 5) ग्रामीण विकास विभाग के मांग संख्या-42 के अंतर्गत योजना मुख्य शीर्ष-2216 के लिए सभी उप विकास आयुक्त पूर्व से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं, अतएव स्वीकृत राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।
- 6) आवंटित राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561वि.(2) दिनांक-17.04.98 एवं बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार की जायेगी तथा निकासी की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी0सी0 विपत्र वित्त विभागीय सुसंगत परिपत्र में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समर्पित की जायेगी ।
- 7) वित्त विभाग के पत्र संख्या-7355 वि.(टि.) दि0-05.10.07 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।
- 8) संबंधित उप विकास आयुक्तों से अनुरोध है कि आवंटित राशि की अग्रिम निकासी कर विभागीय संकल्प संख्या-197148 दिनांक-21.08.14 एवं विभागीय पत्रांक-198808 दिनांक-01.09.14 में निहित मार्गदर्शनों के आलोक में राशि का व्यय कर कोषागार प्रमाणक एवं तिथि सहित व्यय विवरणी महालेखाकार, बिहार, वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) को अविलम्ब उपलब्ध करावें ।
- 9) इसकी सूचना महालेखाकार (ले.हक.), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन



(प्रमोद कुमार बिहारी)

सरकार के विशेष सचिव

जापांक 205824

पटना, दिनांक 20/10/14

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0हक0) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव

जापांक 205824


पटना, दिनांक 20/10/14

प्रतिलिपि- प्रमंडलीय आयुक्त, मगध (गया), पटना/जिला पदाधिकारी, गया, जहानाबाद, अरवल एवं नालन्दा/जिला कोषागार पदाधिकारी, गया, जहानाबाद, अरवल एवं नालन्दा/श्री सुनील कुमार, आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु)/ प्रभारी सांख्यिकी सहायक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) एवं प्रशाखा-5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । इसकी एक प्रति प्रशाखा-5 की रक्षी पंजी में संधारित की जायेगी ।

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव


सरकार के विशेष सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार, पटना